न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री रामचरन शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—110 / 2022 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)
GCMS NO :—2022 / 154
दायर दिनांक :—16.09.2022
निर्णय दिनांक :—13.10.2022

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री **रमेश चंद्र सैनी**, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. **विक्रेता एवं फर्म मालिक** — श्री उज्जवल कोठारी पुत्र श्री गुणसागर कोठारी उम्र 37 वर्ष जाति जैन मैसर्स एस.के. ट्रेडिंग कम्पनी, तेरापंथ भवन के पास, केलवा, राजसमंद जिला राजसमंद निवासी तेरापंथ भवन के पास, केलवा, राजसमंद
2. **हॉलसेलर फर्म मालिक** — श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री गेहरीलाल जैन उम्र 54 वर्ष जाति जैन मैसर्स सुकुमाल ट्रेडिंग कम्पनी, 117—118 जी, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर (राज.) 313001
3. **निर्माता फर्म नोमिनी** — श्री मंतोश कुमार वर्मा पुत्र श्री जगदीष प्रसाद वर्मा उम्र 64 वर्ष निवासी 1196, वर्मा बिल्डिंग एसबीबीजे स्ट्रीज, चौडा रास्ता, जयपुर—302003 राज मो.न. 9414203847 मैसर्स तिरूपति उद्योग, 49सी इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर (राज.)—302012
4. **निर्माता फर्म** — मैसर्स तिरूपति उद्योग, 49सी इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर (राज.) —302012

— विपक्षी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एंव धारा 52 के तहत

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 व 8.12.2011 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर **सबस्टैण्डर्ड**खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि श्री उज्जवल कोठारी पुत्र श्री गुणसागर कोठारी उम्र 37 वर्ष जाति जैन मैसर्स एस. के. ट्रेडिंग कम्पनी, तेरापंथ भवन के पास, केलवा, राजसमंद जिला राजसमंद निवासी तेरापंथ भवन के पास, केलवा, राजसमंद जो की किराणा का व्यवसाय करते है। तथा इनकी दूकान मैसर्स एस.के. ट्रेडिंग कम्पनी, तेरापंथ भवन के पास, केलवा, राजसमंद जिला राजसमंद पर दिनांक 22.03.2022 को 01.30 पी.एम. पर वास्ते चेकिंग पहूंचे।—

P.T.O.

खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण उक्त दुकान में **सरसों तेल (पवन) पैक्ड** करीब **10–12 लीटर** 500–500 एमएल के पौली पैक रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ सरसों तेल (पवन) मे से 500 एमएल की 4 बोतलें सरसों तेल (पवन) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 360/– रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ सरसों तेल (पवन) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा सरसों तेल (पवन) की 04 पॉली पैक को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई –1532 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद ने पत्र क्रमांक : मुचिअ/एफएसएसए/2022/1404 दिनांक 07.04.2022 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल. एस./450/एक्ट/2022/450 दिनांक 31.03.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार **AI 1532 खाद्य पदार्थ सरसों तेल (पवन)** का नमूना **सबस्टैण्डर्ड** होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 08.09.2022 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

P.T.O.

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने से मना किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त सरसों तेल (पवन) में किसी भी प्रकार की मिलावट नही कि जाती है। तथा भविष्य में ऐसी गलती नही दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का **सरसों तेल (पवन) सबस्टैण्डर्ड**होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने **सबस्टैण्डर्ड** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुंरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री उज्जवल कोठारी पुत्र श्री गुणसागर कोठारी उम्र 37 वर्ष जाति जैन मैसर्स एस.के. ट्रेडिंग कम्पनी, तेरापंथ भवन के पास, केलवा, राजसमंद जिला राजसमंद निवासी तेरापंथ भवन के पास, केलवा, राजसमंद, श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री गेहरीलाल जैन उम्र 54 वर्ष जाति जैन मैसर्स सुकुमाल ट्रेडिंग कम्पनी, 117–118 जी, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर, श्री मंतोश कुमार वर्मा पुत्र श्री जगदीष प्रसाद वर्मा उम्र 64 वर्ष निवासी 1196, वर्मा बिल्डिंग एसबीबीजे स्ट्रीज, चौडा रास्ता, जयपुर–302003 एवं मैसर्स तिरूपति उद्योग, 49सी इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर (राज.) पर कुल राशि 25,000/– रूपये (अक्षरे रूपया पच्चीस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा0 फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।

13/10/22

(रामचरण शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ राजसमन्द ★